<u>न्यायालय– सिविल न्यायाधीश श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारी – महिमा दुगड़, आर.जे.एस.

नम्बरी दीवानी प्रकरण संख्या– 06/2024

सीआईएस नम्बर – 06/2024

CNR No. – RJSG270000132024

बिरमदेव पुत्र कृष्ण कुमार, निवासी गांव 7 एस प्रथम कीकरवाली, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।

–वादी

बनाम

01. हरखास एवं आम ।

02. मीरा देवी पत्नी कृष्ण कुमार, निवासी गांव 7 एस प्रथम कीकरवाली, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

03. अतुल पुत्र पूर्ण भगत पौत्र कृष्ण कुमार, निवासी गांव 7 एस प्रथम कीकरवाली, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर, नाबालिक जरिये दादी मीरा देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति निवासी गांव 7 एस प्रथम कीकरवाली, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

04. सूरज देवी पुत्र कृष्ण कुमार, निवासी गांव 7 एस प्रथम कीकरवाली, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

–प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् विधिक वारिस घोषित किये जाने हेतु</u>

<u>उपस्थितिः</u>

1– श्री सतवीर कुमार, विद्वान अधिवक्ता वादी।

2– प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

3– श्री सुभाष गरूड़ा, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं.2 से4 की ओर से।

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांकः–08.07.2026</u>**

01. वादी की ओर से यह वाद बाबत वादी को मृतक कृष्ण कुमार पुत्र बुधराम के विधिक वारिस घोषित किये जाने विरूद्ध प्रतिवादीगण हर आम खास व अन्य इस न्यायालय में दिनांक 13.12.2023 को प्रस्तुत किया जाने पर पंजीबद्ध किया गया है।

02. वादपत्र के कथन संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी के पिता स्व. कृष्ण कुमार पुत्र बुधराम, निवासी गांव 7 एस प्रथम कीकरवाली तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर का देहान्त दिनांक 16.06.2023 को हो चुका है, जिनके नाम चक 7 एस के मुरब्बा नम्बर 75 में 1 बीघा नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी ने प्रतिवादीगण को आज से 10 रोज पूर्व मृतक कृष्ण कुमार की उपरोक्त एक बीघा आजारी भूमि के विरास्तन इन्तकाल करवाने के लिए कहा, तो प्रतिवादीगण वादी को मृतक कृष्ण कुमार का' वारिसनामा बनवाने से इन्कार हो गये और कहने लगे कि हम वारिसनामा तथा इन्तकाल की कार्यवाहीयां हम स्वंय करवा लेगें और

मृतक कृष्ण कुमार के नाम जो भी अचल सम्पत्ति है, उसे हम अपने नाम करवा लेगें। प्रतिवादीगण वादी को मृतक कृष्ण कुमार की उपरोक्त आराजी भूमि व अन्य सम्पत्तियों में हिस्सा देने तथा कृष्णकुमार का वारिस मानने और वारिसनामा बनवाने से साफ इन्कार हो गये। वादी, प्रतिवादीगण के साथ मृतक कृष्ण कुमार का जायज वारिस है। यदि प्रतिवादीगण वादी को मृतक कृष्ण कुमार का वारिस ना मानते हुए मृतक कृष्ण कुमार की उपरोक्त भूमि का अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा लेते है, तो वादी को अपने पिता से विरास्तन में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति से वंचित होना पडेगा। प्रतिवादीगण वादी के पिता के उपरोक्त आराजी भूमि तथा अन्य सम्पत्तियों में से वांदी के हिस्सा की भूमि हडप करना चाहते है, यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो जाते है, तो वादी को ना पूरा होने वाला नुसकान होगा। वादपत्र के अंत में दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार, उचित न्यायशुल्क एवं अन्दर मियाद प्रस्तुत होना कथित करते हुए मुताबिक अनुतोष वादी एवं प्रतिवादीगण को मृतक कृष्ण के विधिक उतराधिकारी घोषित किये जाने का आदेश फरमाया जाकर उक्त आश्य की डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

03. प्रतिवादी संख्या 01 हरखास एवं आम न तो स्वयं उपस्थित आये और ना ही उनकी ओर अधिवक्ता उपस्थित आये है। इस पर प्रतिवादी संख्या 01 के बावजूद अखबार प्रकाशन कोई उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध दिनांक 04.04.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की ओर से जवाब वादपत्र इस आशय का पेश हुआ कि कृष्ण कुमार का दिनांक 16.06.2023 को देहान्त हो चुका है। बिरमदेव कृष्ण कुमार का वारिस नहीं है, वादी द्वारा झूठा दावा पेश किया गया है, इसलिये खारिज किये जाने योग्य है।चक 7 एस प्रथम के मु०नं० 75 में 1 बीघा नहरी भूमि कृष्ण कुमार के नाम दर्ज है, लेकिन बिरमदेव का उस भूमि में हिस्सा बनता है, यह तथ्य स्वीकार नहीं है। बिरमदेव कृष्ण कुमार का वारिस ही नहीं है इसलिये उसका हम प्रतिवादीगण से मिलना ओर विरासतन इंतकाल के लिये कहना तथ्य झूठे दर्ज कराये है, वादी द्वारा दावा झूठे तथ्यों के आधार पर पेश है, इसलिये खारीज किये जाने योग्य है। बल्कि यदि बिरमदेव इस झूठे दावा के आधार पर कृष्ण कुमार का वारिस बन जाता है तो प्रतिवादीगण को कृष्ण कुमार के नाम दर्ज भूमि से वंचित होना पडेगा और पूरा ना होने वाला नुकसान होगा। अन्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद/दावा खारिज किये जाने का निवदेन किया।

04. पत्रावली पर आए अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गयेः–

1. "आया वादी मृतक कृष्ण कुमार पुत्र बुधराम व उसकी पत्नी मीरा देवी पत्नी कृष्ण कुमार, निवासी–गांव 7 एस प्रथम, किकरांवाली, तहसील करणपुर का प्राकृतिक

पुत्र होने के कारण स्वर्गीय कृष्ण कुमार का विधिक वारिस है ?"

2. अनुतोष ?

05. वादी की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न अग्रलिखित सूचीबद्ध गवाह के बयान लेखबद्ध करवाये गए एवं दस्तावेज प्रदर्शित किए गएः–

मौखिक साक्ष्य		
1	पी.ड. 01	बिरमदेव

दस्तावेजी साक्ष्य		
क्रम सं.	**दस्तावेज प्रदर्श**	**दस्तावेज का विवरण**
1	प्रदर्श–01 ए	कृष्णकुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र
2	प्रदर्श–02 ए	पूर्ण भगत का मृत्यु प्रमाण पत्र
3	प्रदर्श–03 ए	रामी बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र
4	प्रदर्श–04 ए	बिरमदेव का आधार कार्ड
5	प्रदर्श–05 ए	मीरा देवी का आधार कार्ड

प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

06. अधिवक्ता वादी की ओर से बहस के दौरान यह तर्क दिया गया कि वादी के पिता कृष्णकुमार की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादी भी उक्त कृष्णकुमार का विधिक वारिस है। प्रतिवादीगण वादी को मृतक कृष्ण कुमार की उपरोक्त आराजी भूमि व अन्य सम्पत्तियों में हिस्सा देने तथा कृष्णकुमार का वारिस मानने और वारिसनामा बनवाने से साफ इन्कार हो गये है। प्रतिवादीगण वादी के पिता के उपरोक्त आराजी भूमि तथा अन्य सम्पत्तियों में से वांदी के हिस्सा की भूमि हडप करना चाहते है। अतः उपरोक्तानुसार अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

07. जिसके विरोध में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा कथन किया गया है कि मृतक कृष्ण कुमार का वादी वारिस नही है। बल्कि वादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश किया है। यदि वादी को मृतक कृष्ण कुमार का विधिक वारिस घोषित कर दिया जाता है तो प्रतिवादीगण को अधिक नुकसान होगा और ना पूरी होने वाली क्षति कारित होगी। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद खारिज करने योग्य है।

08. विद्वान् अधिवक्तागण के उपरोक्त तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। न्यायालय द्वारा विरचित किये गये विवाद्यकों पर आई साक्ष्य का विवेचन व न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार से है –

<u>विवाद्यक संख्या–1</u>

09– उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था जिसे साबित करने के लिए वादी/आवेदक द्वारा स्वयं को पी.ड.01 के रूप मे परीक्षित करवाया है। गवाह बिरमदेव ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वादी के पिता स्व. कृष्ण कुमार पुत्र बुधराम, निवासी गांव 7 एस प्रथम कीकरवाली का देहान्त दिनांक 16.06.2023 को हो चुका है। मृतक के कानूनी वारिसान में मीरा देवी (पत्नी), बिरमदेव (पुत्र), सूरज देव (पुत्र) तथा अतुल (पौत्र) शामिल हैं। मृतक कृष्ण कुमार के नाम चक 7 एस के मुरब्बा नंबर 75 में 1 बीघा नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से विरासत का इन्तकाल (नामान्तरण) संयुक्त रूप से करवाने का आग्रह करने पर प्रतिवादीगण ने साफ इनकार कर दिया तथा संपूर्ण संपत्ति स्वयं के नाम करवाने का कहा है। अपनी साक्ष्य के समर्थन में वादी की ओर से कृष्णकुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 01 ए, पूर्ण भगत का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 02 ए, रामी बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 03 ए, बिरमदेव का आधार कार्ड प्रदर्श 04 ए, मीरा देवी का आधार कार्ड प्रदर्श 05 ए पेश कर प्रदर्शित करवाये गये हैं।

10. पत्रावली पर यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतक कृष्ण कुमार की मृत्यु दिनांक 16.06.2023 को हो चुकी है। वादी मृतक का पुत्र हो इस सम्बन्ध में वादी द्वारा केवल मात्र अपना आधार–कार्ड न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अन्य कोई ऐसा दस्तावेज वादी की ओर से पेश नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादी एवं प्रतिवादीगण के अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान मृतक कृष्ण कुमार का नहीं हो। आधार कार्ड केवल मात्र एक पहचान प्रमाण पत्र है और इसे वारिस होने का कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता। ऐसे में केवल मात्र मौखिक अभिवचनों के अधार पर वादी के वाद में किए गए अभिवचनों को साबित नहीं माना जा सकता है।

इस सम्बन्ध में धारा 101 साक्ष्य अधिनियम में यह प्रतिपादित किया गया है किः– सबूत का भार जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है ।जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

11. उक्त प्रावधान की रोशनी में वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना था। किन्तु पत्रावली पर आयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि मृतक कृष्ण कुमार का वादी एवं प्रतिवादीगण के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है एवं वादी मृतक कृष्ण कुमार का प्राकृतिक पुत्र हो, इस सम्बन्ध में भी पत्रावली पर ऐसी कोई मौखिक व

दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं हुई है।

12. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त विवाद्यक संख्या 01 वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में वादी इस संबंध में कोई अनुतोष पाने के हकदार नहीं है और वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है।

13. अनुतोषः–

चूँकि विवाद्यक संख्या 01 वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। इसलिए वादी उचित अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

– आदेश –

14. अतः वादी बिरमदेव पुत्र कृष्ण कुमार, निवासी गांव 7 एस प्रथम कीकरवाली, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणात्मक अनुतोष विरूद्ध प्रतिवादी हर खास आम व अन्य एतद्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो ।

(महिमा दुगड़, आर.जे.एस.)

15. आदेश आज दिनांक 08.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महिमा दुगड़, आर.जे.एस.)